



इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उ०प्र०

Allahabad State University, Allahabad, U.P.

पत्रांक : इ०रा०वि०वि० / उ०कु०स०का० / 311 / 2018

दिनांक 31.05.2018

प्रेस विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय की प्रायोगिकी/मौखिकी को शुचितापूर्ण वातावरण में गुणवत्तापरक रूप से सम्पन्न कराने के क्रम में माननीय कुलपति जी के द्वारा इस आशय के आदेश प्रदान किए गए थे कि प्रायोगिकी/मौखिकी के समय उपस्थित छात्र/छात्राओं तथा आन्तरिक व वाह्य परीक्षकों का संयुक्त छायाचित्र, वीडियोग्राफी तथा जिन छात्र/छात्राओं को 70% से अधिक अंक प्रदान किए गए हों उसके औचित्य के साथ उनकी उत्तर पुस्तिकाएं सम्बन्धित महाविद्यालय एक सप्ताह के अन्दर विश्वविद्यालय प्रेषित को प्रेषित करेंगे।

उक्त प्रकार से प्राप्त अंकपत्र (Awardsheet), संयुक्त छायाचित्र तथा वीडियोग्राफी का परीक्षण किया गया जिसके परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कतिपय महाविद्यालयों द्वारा प्रेषित छायाचित्र/वीडियोग्राफी में कट-पेस्ट करते हुए छेड़-छाड़ की गई है तथा वीडियोग्राफी एक से दो मिनट तक की है तथा छात्र/छात्राओं को 97% तथा आन्तरिक मूल्यांकन में शत-प्रतिशत अंक प्रदान किए गए हैं, जिसका कोई औचित्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। वीडियोग्राफी देखने से यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि सम्बन्धित महाविद्यालय में प्रबन्धक भी उपस्थिति पाये गए हैं साथ ही 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं की उत्तर पुस्तिकाओं को भी विश्वविद्यालय प्रेषित नहीं किया गया है।

उक्त का संज्ञान लेते हुए माननीय कुलपति जी ने कार्यहित में इस आशय से आदेश प्रदान किए हैं कि सम्बन्धित महाविद्यालयों/परीक्षा केन्द्रों में योजित आन्तरिक व वाह्य परीक्षकों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए कि किन परिस्थितियों में उन्होंने सम्बन्धित अभ्यर्थियों को बिना किसी औचित्य के उक्त प्रकार से अंक प्रदान किए हैं। स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने पर सम्बन्धित परीक्षकों को परीक्षकत्व से वंचित कर दिया जाए। साथ ही सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्यों/प्रबन्धकों से इस आशय का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए कि उन्होंने किन परिस्थितियों में संयुक्त छायाचित्र में कट-पेस्ट करते हुए छेड़-छाड़ की है तथा वीडियोग्राफी अल्पावधि की है।

(डॉ० साहब लाल मौर्य)
कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि-निम्नलिखित दैनिक समाचार पत्रों के सम्मानित संपादकों को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को अपने दैनिक समाचार पत्र के अगले अंक में, जनहित में, निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

1. अमर उजाला
2. दैनिक जागरण
3. हिन्दुस्तान
4. आज
5. यूनाइटेड

(राजबहादुर)
उपकुलसचिव(परीक्षा)

उपर्युक्त की प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्राचार्य/प्राचार्या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सम्बन्धित समस्त महाविद्यालय।
2. समस्त अधिकारीगण।
3. एजेंसी को इस आशय से प्रेषित की उक्त विज्ञप्ति को सम्बन्धित महाविद्यालयों की कॉलेज लॉगिन तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
5. वैय० सहायक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक।

(राजबहादुर)
उपकुलसचिव(परीक्षा)